न्यायालय कलेक्टर, जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक– 01/अ–19(3)/2019–20
उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार)
जबलपुर .... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ......अनावेदक

(आदेश पारित एवं घोषित दिनांक 15/05/2019)

भारत सरकार मानव संसाधन विभाग मंत्रालय स्कूल शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग 124 सी रिंग, शास्त्री भवन नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.05.2017 द्वारा अनूपपुर जिले में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु शासकीय भूमि की मांग किये जाने पर इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक–06/अ–19(3)/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा तहसील अनूपपुर के ग्राम सेन्दुरी की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 1168/1 रकवा 16.691 हे. के अंशभाग 4.000 हे. भूमि आवंटित किये जाने का आदेश पारित किया गया । केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर हेतु प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन पश्चात् केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पदाधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किये जाने पर यह पाया गया कि आवंटित भूमि केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है, विद्यालय निर्माण के पूर्व कई आवश्यक कार्य कराया जाना आवश्यक होगा, ऐसी स्थिति में केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर हेतु अन्य भूमि हस्तान्तरित/आवंटित किये जाने के विषय में प्रकरण संस्थित कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनूपपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया ।

2/ उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) जबलपुर के पत्र दिनांक 04.04.2019 के संदर्भ में, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनूपपुर से भूमि चयन प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनूपपुर ने रा0प्र0क्रमांक–09/अ–74/2019–20 में प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 27.04.2019 द्वारा ग्राम मानपुर तहसील अनूपपुर की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 38/1 रकवा 12.173 हे. के अंश रकवा 0.809 हे. एवं खसरा नम्बर 54/1 रकवा 4.123 हे. के अंश रकवा 3.238 हे. कुल 4.047 हे. भूमि केन्द्रीय विद्यालय हेतु आवंटित किये जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनूपपुर द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि क्रेन्द्रीय विद्यालय हेतु आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार अनूपपुर द्वारा उदघोषणा का प्रकाशन कराया गया, जिसमें समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा प्रश्नाधीन भूमि के आवंटन के संबंध में ग्राम पंचायत पोड़ी (मानपुर) से सहमति प्रस्ताव लिया गया है । प्रश्नाधीन शासकीय भूमि केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्यालय स्टॉफ के द्वारा भी मौखिक सहमति दी गई है ।

3/ प्रश्नाधीन भूमि ग्राम मानपुर तहसील अनूपपुर की आराजी खसरा नम्बर 38/1 रकवा 12.173 हे. एवं खसरा नम्बर 54/1 रकवा 4.123 हे. के राजस्व अभिलेख खसरे में अन्य शासकीय विभाग तथा जंगल मद में दर्ज है, किन्तु भूमि राजस्व विभाग की है, स्थल पर कोई भी वृक्ष/जंगल नहीं है, फिर भी वनमण्डलाधिकारी, अनूपपुर से प्रश्नाधीन शासकीय भूमि केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित करने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया । वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक–मा.चि./2019/1864 दिनांक 14.05.2019 में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम मानपुर तहसील अनूपपुर की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 38/1 रकवा 12.173 हे. एवं खसरा नम्बर 54/1 रकवा 4.123 हे. का मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त दोनो खसरा नम्बर में मौके से वृक्ष आदि नहीं है ।

4/ प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2019 एवं वनमण्डलाधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 14.05.2019 जिसमें वनमण्डलाधिकारी ने प्रश्नाधीन भूमि केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर हेतु आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में

कलेक्टर
अनूपपुर (म0प्र0)

[illegible] आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, के कारण प्रश्नाधीन शासकीय भूमि केन्द्रीय विद्यालय के भवन [illegible] हेतु केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) नई दिल्ली [illegible] पक्ष में आवंटित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

5/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक–एफ 6–130/2009/सात/नजूल भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2015 के अनुसार चार हेक्टेयर भूमि केन्द्रीय विद्यालयों हेतु भूमि बिना प्रब्याजि एवं नाममात्र रूपये 1/– वार्षिक भू–भाटक पर आवंटित किये जाने का प्रावधान है ।

6/ अतः इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक–06/अ–19(3)/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24.06.2017 द्वारा केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम सेन्दुरी तहसील अनूपपुर की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 1168/1 रकवा 16.691 हे. के अंशभाग 4.000 हे. से सम्बन्धित आदेश को निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनूपपुर के प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2019 एवं वनमण्डलाधिकारी, अनूपपुर के प्रतिवेदन दिनांक 14.05.2019 के आधार पर, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक–एफ 6–130/2009/सात/नजूल भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2015 के प्रावधान अनुसार, ग्राम मानपुर तहसील अनूपपुर की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 38/1 रकवा 12.173 हे. का अंश रकवा 0.809 हे. एवं खसरा नम्बर 54/1 रकवा 4.123 हे. का अंश रकवा 3.238 हे. कुल 02 किता कुल रकवा 4.047 हे. भूमि केन्द्रीय विद्यालय अनूपपुर की स्थापना हेतु बिना प्रब्याजि एवं नाममात्र 1/– वार्षिक भू–भाटक पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) नई दिल्ली (जबलपुर) के पक्ष में आवंटित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

आज दिनांक 15/05/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं घोषित किया गया ।

(चन्द्रमोहन ठाकुर)
कलेक्टर
अनूपपुर (म0प्र0)
जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

पृ0प्रकरण क्रमांक– 01 /अ–19(3)/19–20 अनूपपुर, दिनांक 15/05/2019

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली ।
2. सचिव, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल ।
4. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल (म0प्र0) ।
5. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) जबलपुर ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनूपपुर (म0प्र0) ।
7. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग अनूपपुर (म0प्र0)
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनूपपुर जिला अनूपपुर (म0प्र0) ।
9. कार्यालय कलेक्टर, नजूल शाखा/राजस्व शाखा जिला अनूपपुर ।
10. तहसीलदार तहसील अनूपपुर की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख खसरे में संशोधित प्रविष्टि कर संशोधित खसरे की प्रति उपलब्ध करावें तथा आवंटित भूमि का मौके से सीमांकन कराया जाकर सम्बन्धित विभाग को भूमि का कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

कलेक्टर
अनूपपुर (म0प्र0)
जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

न्यायालय कलेक्टर, जिला- अनूपपुर (म०प्र०)
राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र
मामला क्रमांक–01 / अ–19(3) / 2019–20

(1)	(2)	(3)
15 / 05 / 2019	प्रकरण प्रस्तुत । प्रकरण में विस्तृत आदेश पारित कर योजित है । इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक–06 / अ–19(3) / 2016–17 में ग्राम सेन्दुरी तहसील अनूपपुर की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 1168 / 1 रकवा 16.691 हे. के अंशभाग 4.000 हे. केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु आवंटन सम्बन्धी आदेश दिनांक 24.06.2017 निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनूपपुर के प्रतिवेदन दिनांक 27.04.2019 एवं वनमण्डलाधिकारी, अनूपपुर के प्रतिवेदन दिनांक 14.05.2019 के आधार पर, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक–एफ 6–130 / 2009 / सात / नजूल भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2015 के प्रावधान अनुसार, ग्राम मानपुर तहसील अनूपपुर की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 38 / 1 रकवा 12.173 हे. के अंश रकवा 0.809 हे. एवं खसरा नम्बर 54 / 1 रकवा 4.123 हे. के अंश रकवा 3.238 हे. कुल 4.047 हे. भूमि केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिना प्रब्याजि एवं नाममात्र 1 / – वार्षिक भू–भाटक पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) जबलपुर के पक्ष में आवंटित किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । आदेश की प्रति उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनूपपुर एवं तहसीलदार अनूपपुर की ओर आदेशानुसार रिकार्ड संशोधन एवं भूमि सीमांकित कर सम्बन्धित विभाग को स्थल पर कब्जा देने हेतु भेजा जावे । प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है, संचित अभिलेखागार किया जाय । कलेक्टर अनूपपुर (म0प्र0) जिला– अनूपपुर (म0प्र0)	17/05/19 10 प्रति प्राप्त

Building

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी

प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: अनूपपुर			पटवारी हल्का: अनूपपुर			तहसील: अनूपपुर			जिला: अनूपपुर			वर्ष: 2021-2022		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के ब्यौरे शामिल हों (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशिष्टियां	देय राशि	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3719	शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पता: अनूपपुर भूमि स्वामी		628/1 (S) 0.0240 हेक्टेयर	कृषि	0.00	0.00	कुल भू-राजस्व	0.00						
			679/4/2 (S) 0.0640 हेक्टेयर	कृषि	0.00		पंचायत उपकर	0.00						
			कुल क्षे. 0.0880 हेक्टेयर	कुल संख्या 2	कुल 0.00		शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						

specimen copy

				प्रीमियम	0.00						
				शास्ति	0.00						
				योग	0.00						

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी

प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: अनूपपुर			पटवारी हल्का: अनूपपुर			तहसील: अनूपपुर			जिला: अनूपपुर			वर्ष: 2021-2022		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के ब्योरे शामिल हो (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशिष्टियां	देय राशि	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6117	(शासकीय)		670 (S) 0.1740 हेक्टेयर	कृषि	0.00	0.00	कुल भू-राजस्व	0.00						
			कुल क्षे. 0.1740 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00		पंचायत उपकर	0.00						
							शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						

specimen copy

				प्रीमियम	0.00					
				शास्ति	0.00					
				योग	0.00					

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी

प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: अनूपपुर			पटवारी हल्का: अनूपपुर			तहसील: अनूपपुर			जिला: अनूपपुर			वर्ष: 2021-2022		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के ब्योरे शामिल हों (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशिष्टियां	देय राशि	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6193	(शासकीय)		671 (S) 0.3240 हेक्टेयर	कृषि	0.00	0.00	कुल भू-राजस्व	0.00						
			कुल क्षे. 0.3240 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00		पंचायत उपकर	0.00						
							शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						

specimen copy

				प्रीमियम	0.00						
				शास्ति	0.00						
				योग	0.00						

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी

प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: अनूपपुर			पटवारी हल्का: अनूपपुर			तहसील: अनूपपुर			जिला: अनूपपुर			वर्ष: 2021-2022		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के ब्यौरे शामिल हों (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशिष्टियां	देय राशि	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6181	(शासकीय)		672 (S) 0.1780 हेक्टेयर	कृषि	0.00	0.00	कुल भू-राजस्व	0.00						
			कुल क्षे. 0.1780 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00		पंचायत उपकर	0.00						
							शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						

specimen copy

				प्रीमियम	0.00						
				शास्ति	0.00						
				योग	0.00						

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी

प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: अनूपपुर			पटवारी हल्का: अनूपपुर			तहसील: अनूपपुर			जिला: अनूपपुर			वर्ष: 2021-2022		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के ब्योरे शामिल हों (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशिष्टियां	देय राशि	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6208	(शासकीय)		673 (S) 0.1820 हेक्टेयर	कृषि	0.00	0.00	कुल भू-राजस्व	0.00						
			कुल क्षे. 0.1820 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00		पंचायत उपकर	0.00						
							शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						

specimen copy

				प्रीमियम	0.00						
				शास्ति	0.00						
				योग	0.00						

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी

प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: अनूपपुर			पटवारी हल्का: अनूपपुर			तहसील: अनूपपुर			जिला: अनूपपुर			वर्ष: 2021-2022		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के ब्यौरे शामिल हों (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशिष्टियां	देय राशि	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3693	शा0 उ0मा0 वि0 अनूपपुर पता- निवासी ग्राम शासकिय संस्था		680/1/2 (S) 0.0080 हेक्टेयर	कृषि	0.00	0.00	कुल भू-राजस्व	0.00						
			कुल क्षे. 0.0080 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00		पंचायत उपकर	0.00						
							शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						

specimen copy

				प्रीमियम	0.00						
				शास्ति	0.00						
				योग	0.00						

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी

प्ररूप सात (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

ग्राम: अनूपपुर			पटवारी हल्का: अनूपपुर			तहसील: अनूपपुर			जिला: अनूपपुर			वर्ष: 2021-2022		
खाता क्रमांक	1. खातेदार (खातेदारों) का नाम, उसके माता/पिता/पति का नाम तथा पता 2. खाते में हिस्सा	खातेदार (खातेदारों) का आईडी क्रमांक (संयुक्त खाते की दशा में प्रत्येक खातेदार का उनके नाम सहित आईडी क्रमांक)	1. सर्वेक्षण संख्यांक भू-खण्ड संख्यांक के साथ इसका/ब्लॉक संख्यांक सहित ('S' कृषक भूमि को तथा 'P' गैर कृषिक भूमि को दर्शाता है) 2. क्षेत्रफल (हेक्टेयर / वर्गमीटर में)	भूमि का उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है	निर्धारण (रुपयों में)	*मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 58-क के अधीन छूट	भू-राजस्व का शीर्ष	चालू वर्ष की मांग (रुपयों में)	बकाया यदि कोई हो (रुपयों में)	आदिनांक ब्याज (मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 143 के अनुसार) (रुपयों में)	अद्यतन कुल मांग (रुपयों में)	भुगतान गई राशि जिसमें भुगतान के ब्योरे शामिल हों (रुपयों में) 1. भुगतान गई राशि 2. भुगतान की विशिष्टियां	देय राशि	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6178	(शासकीय)		681/1/2 (S) 0.0450 हेक्टेयर	कृषि	0.00	0.00	कुल भू-राजस्व	0.00						
			कुल क्षे. 0.0450 हेक्टेयर	कुल संख्या 1	कुल 0.00		पंचायत उपकर	0.00						
							शाला उपकर	0.00						
							वाणिज्य कर	0.00						

specimen copy

				प्रीमियम	0.00						
				शास्ति	0.00						
				योग	0.00						

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है |
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है |
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें |
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें |